मेरठ परिक्षेत्र।

कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस,

पत्रांकः स-3/डी0डी0/फा0स0/मेरठ-13(बु0शहर)/170 दिनांकःफरवरी 6 2013,

सेवा मे,

प्रबन्धक,
मैसर्स बी0आर0 इण्टरनेशनल स्कूल,
ग्राम अटटा गुलावठी स्याना रोड/बी0बी0नगर,
जनपद बुलन्दशहर।

विषयः **मैसर्स बी0आर0 इण्टरनेशनल स्कूल ग्राम अटटा गुलावठी स्याना रोड/बी0बी0नगर जनपद बुलन्दशहर मे निर्मित एजुकेशनल भवन को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

सन्दर्भः 1-मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन, शिक्षा (06) अनुभाग का शासनादेश संख्याः 1528/79-6-08 दिनांकः 20-07-2009
2-मा0 सर्वोच्च न्यायालय मे योजित जन हित याचिका संख्याः 483/2004 अवनीश कुमार महरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य मे पारित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांकः 13-04-2009 के अनुपालन मे प्रदेश के स्कूलो/ कालेजो मे अग्नि सुरक्षा शानादेश संख्याः 1801/15-7-09-1(124)/2009 दिनांकः 20-07-2009 के अनुसार निर्धारित प्रारूप मे अनापत्ति सम्बन्धी आख्या।

कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांकः 30-01-2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके माध्यम से निर्मित स्कूल भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित शासनादेशों के अनुपालन मे भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता-2005 मे उल्लखित शैक्षिक भवनों के लिए प्राविधानित अग्निशमन सुरक्षा के अनुरूप भवन का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर से कराया गया तथा उनकी संस्तुति आख्या दिनांक 01-02-2013 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 05-01-2013 अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका विवरण निम्नवत हैः-

ए0-प्रश्नगत भवन की नवीन मान्यता प्राप्त की जानी है।

भवन की संरचनाः-

1-कुल प्लाट एरिया-3372.00 वर्ग मी0
2-निर्मित भूतल एरिया-485.00 वर्ग मी0 है।
3-प्रथम तल कवर्ड एरिया-485.00 वर्ग मी0 जिसमे स्कूल संचालित है।

ढाचागत सुरक्षा व्यवस्थाः-

1-पहुच मार्ग- प्रश्नगत स्कूल भवन 13.00 मी0 चौडे रोड पर स्थित है जिस पर फायर सर्विस वाहन आ जा सकते है।
2-प्रवेश द्वार-05.00 मी0 उपलब्ध है।
3-सैटबेक
अग्रभाग- 25 मी0।
पृष्ठ भाग-12 मी0।
पार्श्व भाग-06 मी0।
पार्श्व भाग-2,-06मी0।

(अमन शर्मा)
उप निदेशक फा0 स0
मेरठ

4-निकास मार्ग- प्रश्नगत भवन मे 02 स्टेयरकेश जिनकी चौडाई 1.5 मी0 उपलब्ध है जिसकी फलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

अग्निशमन व्यवस्थाः-

1–भवन मे अग्निशमन हेतु ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190 के अनुसार स्थापित किये गये है।
2–अग्निशमन उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण प्रबन्धको द्वारा नियमानुसार करायी जा रही है।
3–अग्निशमन पद्वति का अनुरक्षण–प्रतिवर्ष फायर एक्सटिंग्यूशर रिफलिंग नियमानुसार कराया जा रहा है।

अतः उपरोक्तानुसार विषयगत स्कूल को निम्नलिखित शर्तो के अधीन कम्प्लीशन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता हैः–

1–वर्तमान में विद्यालय भवन के प्रस्तुत मानचित्र के अतिरिक्त भविष्य में निर्माण करने की दशा में इस विभाग से पुनः अग्निशमन सुरक्षा सन्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
2–वर्तमान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना होगा तथा प्रति वर्ष इस प्रकार का प्रमाण पत्र इस विभाग से प्राप्त करना होगा कि उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नही की जायेगी।
3–स्कूल की ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था की वर्तमान दशा पहुंच मार्ग, सैट बैक, फायर स्केप व अग्निशमन व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नही की जायेगी।
4–स्कूल में भोजन/मिड–डे मील आदि तैयार करने सम्बन्धी कार्य केवल भूतल पर व निकास मार्गो से दूर टिन शैड में ही किया जायेगा।
5–उपरोक्त प्रतिबन्धों के उल्लंघन पर निर्गत अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पर स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भवन को शर्तो के अधीन अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

(अ[illegible] शर्मा)
उपनिदेशक, फायर सर्विस
मेरठ परिक्षेत्र।

प्रतिलिपि–1–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2–अग्निशमन अधिकारी सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।